Document Checklist

TRANSFER OF CONNECTION / MUTATION OF NAME

कनेक्शन के अंतरण / नामांतरण

۵.	Encessones else of Bocaments required	as app	licable (Tick if Required) (LT Supply)	
-a.	Applicant's PAN Card and Aadhaar Card (If Aadhaar Card is not available, then any one Self Attested Identity Proof of Authorised Signatory (Voter ID/PAN/DL/ Passport))	' O	g. Agreement on Rs.100 Stamp Paper [Mandatory for ≥25KW, (LMV-5,6 mandatory for all loads)] including details of witnesses	\circ
b.	NOC On Rs. 10 Non-Judicial Stamp Paper {With Self attested ID Proof of Co-owner (In case of joint property)}	0	 NoC / Consent Letter from UP Pollution Control Board (UPPCB) / NoC from DIC if Non-polluting (or applicant's undertaking showing its industry is non-polluting (LMV- 6 only) 	\supset
	Lease Deed by GNIDA (in case of resale TM and lease deed with seller)/UPSIDC (in case of resale TL) /Khasara & Khatauni (Agricultural Land) / Sale Deed (in case of Freehold or Agricultural Property) / Mutation Letter from GNIDA/UPSIDC /Death Certificate and Warisan Praman Patra (for agricultural land and in case of more than one legal heir relinquish-deed/NOC from rest of successors)	0	Certificate of Incorporation / Trust Deed (Trust) / Bye-Laws (Co-Operative Society) /	0
d.	[Should be Notarized on all the papers and both side, exempt in LMV-1] Signature Verification from bank / Director of the company or Company Secretary (exempted for LMV-1 only)	0	List of Directors(company)/Trustees(trust)/Partners (Partnership firm) as on the j, date of Application on Letter Head attested by Company Secretary/Director	0
e. f	Certificate from Ministry of Commerce / Udvog Aadhaar (LMV-6 only) Last paid bill copy	00	($\overline{\bigcirc}$
	ENCLOSURES: List of Documents required	as app		Ť
a.	List of Directors (Company) / Trustees (Trust) / Partners (Partnership Firm)			\bigcirc
	as on the date of Application on Letter Head attested by Company Secretary/ Director (Company) / Trustees (Trust) / Partners (Partnership Firm) respectively	Ŭ	(Co-Operative Society) / Incorporation Certificate & LLP Agreement (LLP) /Partnership Deed (Partnership Firm) , as the case may be, duly attested	
b.	Board Resolution Authorising the Authorised Signatory on Letter Head attested by Director / Company Secretary of the Company along with attestation of his Signature	0	i. Registered Sale Deed / Lease Deed with GNIDA/UPSIDC (Photocopy to be Notarised) (in case of resale, TM and Lease Deed with Seller)	0
	Aadhaar Card of the Authorized Signatory, If Aadhaar Card is not available , then any one Self Attested Identity Proof of Authorised Signatory.(VoterID/PAN/DL/Passport)	0	j. NoC / Consent Letter from UP Pollution Control Board (UPPCB) / NoC from DIC if Non-polluting (or applicant's undertaking showing its industry is non-polluting (Optional)	0
d.	Attestation of Signature of Authorised Signatory by Bank	\circ	k. SSI Certificate / Certificate from Ministry Of Commerce	\bigcirc
۵	(if Signature not available as per Point b.) PAN Card of the Entity attested by Company Secretary/Director		(Only for Industries) L. Agreement on Rs.100 Stamp Paper including details of witnesses	\bigcirc
f.	Certificate from Ministry of Commerce / Udyog Aadhaar (LMV-6) Optional)	\sim	[Mandatory ≥25KW,(LMV-5,6 mandatory for all loads)] m. NOC from Directorate of Electrical Safety	
g.	Last Paid Bill Copy	ŏ	(if earlier NOC not available in NPCL records)	\bigcirc
	संलग्नक: आवश्यक दस्तावेजों की सुची (आवश्	यक हो	ने पर निशान लगाएं) (एल.टी सप्लाई)	
a.	संलग्नक: आवश्यक दस्तावेजों की सूची (आवश् आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताधरकर्ता का कोई भी एव		0 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पार्मिमेंट ऑफ सप्ताई D>25 किलोबार के लिए अनिवार्य	
a.			g. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] ग <mark>वाहों के विवरण सहित</mark>	0
a. b.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एव	· O	 g. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर- 	0
a. b. c.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एव स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी {सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय T		 g. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमति पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) 	
a. b. c.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एक स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी {सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)} "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विकेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय Т के मामले में)/खसरा और खतौनी (कृषि भूमि)/विक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID		 g. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी समिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / 	
a. b. c.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एव स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी {सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय T		 g. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) i. CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी सिमिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) 	0
a. b. c.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एव स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी {सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय T के मामले में)/खबरा और खतीनी (कृषि भूमि)/विक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसत प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याप-पत्र/वाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमदी-1 में छूट]		 g. 100 रुपये के स्टाप्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी सिमिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) आवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/न्यासी (ट्रस्ट)/साझेदार (साझेदारी फर्म) 	0
a. b. c. d. e.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एव स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी (सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय T के मामले में)/खसरा और खतौनी (कृषि भूमि)/बिक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसन प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याग-पत्र/बाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमवी-1 में छूट] वैका/कंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव से हस्ताक्षर सत्यापन (केवल एलएमवी-1 के लिए छूट)		 g. 100 रुपये के स्टाप्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी सिमिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) आवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/न्यासी (ट्रस्ट)/साझेदार (साझेदारी फर्म) की J. द्वारा सत्यापित लेटर हेड पर निदेशकों (कंपनी)/न्यासियों (ट्रस्ट)/साझेदारों (साझेदारी फर्म) की 	0
d. e.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एव स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी {सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय T के मामले में)/खबरा और खतीनी (कृषि भूमि)/विक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसत प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याप-पत्र/वाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमदी-1 में छूट]		 g. 100 रुपये के स्टाप्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी समिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) आवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/न्यासी (ट्रस्ट)/साझेदारी (साझेदारी फर्म) की सूची 	0
d. e.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एवं स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी (सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय रिक् मामले में)/खतरा और खर्तीनी (कृषि भूमि)/विक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसत प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याम-पत्र/वाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमवी-1 में छूट] वैक्/कंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव से हस्ताक्षर सत्यापन (केवल एलएमवी-1 के लिए छूट) वाणिज्य मंत्रालय/उद्योग आधार से प्रमाण पत्र (केवल एलएमवी-6)	L C C C C	 g. 100 रुपये के स्टाप्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी समिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) आवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/न्यासी (ट्रस्ट)/साझेदार (साझेदारी फर्म) की सूची h. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / जीएसटी प्रमाणपत्र के अभाव में घोषणा पत्र 	0
d. e. f.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एव स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) र. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी {सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय T के मामले में)/खतरा और वर्तानी (कृषि भूमि)/विक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पव/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसन प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याग-पत्र/वाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमवी-1 में छूट] वैंक/कंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव से हस्ताक्षर सत्यापन (केवल एलएमवी-1 के लिए छूट) वाणिज्य मंत्रालय/उद्योग आधार से प्रमाण पत्र (केवल एलएमवी-6) अंतिम भुगतान किए गए विल की प्रति	L C C C C	 g. 100 रुपये के स्टाप्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी सिमिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) अवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/न्यासी (ट्रस्ट)/साझेदार (साझेदारी फर्म) की सूची h. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / जीएसटी प्रमाणपत्र के अभाव में घोषणा पत्र ने पर निशान लगाएं) (एच.टी सप्लाई) 	0
d. e. f.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एव स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी (सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय रिक् के मामले में)/खतरा और खतीनी (कृषि भूमि)/बिक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसन प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याम-पत्र/बाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमवी-1 में छूट] वैक्शकंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव से हस्ताक्षर सत्यापन (केवल एलएमवी-1 के लिए छूट) वाणिज्य मंत्रालय/उद्योग आधार से प्रमाण पत्र (केवल एलएमवी-6) अंतिम भुगतान किए गए बिल की प्रति	L C Out	 g. 100 रुपये के स्टाप्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी सिमिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) अवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/न्यासी (ट्रस्ट)/साझेदार (साझेदारी फर्म) की सूची h. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / जीएसटी प्रमाणपत्र के अभाव में घोषणा पत्र ने पर निशान लगाएं) (एच.टी सप्लाई) 	
d. e. f.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एव स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) र. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी (सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय ा के मामले में)/खसरा और खर्तीनी (कृषि भूमि)/बिक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और बारिसन प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याग-पत्र/बाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमवी-1 में छूट] वैंक/कंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव से हस्ताक्षर सत्यापन (केवल एलएमवी-1 के लिए छूट) वाणिज्य मंत्रालय/उद्योग आधार से प्रमाण पत्र (केवल एलएमवी-6) अंतिम भुगतान किए गए बिल की प्रति संलग्नक: आवश्यक दस्तावेजों की सूची (आवश्यक टस्तावेजों की सूची (साझेदार फर्म) की	L C Out	 g. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बीर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमति पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी समिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) आवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/त्यासी (ट्रस्ट)/साझेदारों (साझेदारी फर्म) की सूची h. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / जीएसटी प्रमाणपत्र के अभाव में घोषणा पत्र पर निशान लगाएं) (एच.टी सप्लाई) विधिवत सत्यापित निगमन प्रमाणपत्र (कंपनी) / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) / उपनियम (सहकारी समिति) / निगमन प्रमाणपत्र और एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी डीड (साझेदारी 	
d. e. f. a. b.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एक स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) इ. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी (सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय रिक्र मामले में)/खसरा और खतौनी (कृषि भूमि)/विक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसन प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याग-पत्र/बाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमवी-1 में छुट] वैंक/कंपनी के निदेशक या कंपनी सविच से हस्ताक्षर सत्यापन (केवल एलएमवी-1 के लिए छुट) वाणिज्य मंत्रालय/उद्योग आधार से प्रमाण पत्र (केवल एलएमवी-6) अंतिम भुगतान किए गए विल की प्रति संलग्नक: आवश्यक दस्तावेजों की सूची (आवश्यक वेस्तावेज) से सूची कंपनी सचिव / निदेशक (कंपनी) / ट्रस्टियों (ट्रस्ट) / भागीदारों (साक्षेदारी फर्म) की सूची कंपनी सचिव / निदेशक (कंपनी) / ट्रस्टियों (ट्रस्ट) / भागीदारों (साक्षेदारी फर्म) का स्वापित	L C Out	 g. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमति पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी समिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) आवेदन की तिथि/ समयः कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/न्यासी (ट्रस्ट)/साझेदारों (साझेदारी फर्म) की सूची h. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / जीएसटी प्रमाणपत्र के अभाव में घोषणा पत्र रे पर निशान लगाएं) (एच.टी सप्लाई) विधिवत सत्यापित निगमन प्रमाणपत्र (कंपनी) / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) / उपनियम (सहकारी समिति) / निगमन प्रमाणपत्र और एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी डीड (साझेदारी फर्म), जैसा भी मामला हो जीएनआईडीए/यूपीएसआईडीसी के साथ पंजीकृत विक्री विलेख/लीज विलेख (फोटोकॉपी नोटरीकृत होनी / क्रिक्त के साथ पंजीकृत विक्री विलेख/लीज विलेख (फोटोकॉपी नोटरीकृत होनी / क्रिक्त के साथ पंजीकृत विक्री विलेख/लीज विलेख (फोटोकॉपी नोटरीकृत होनी / क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त के साथ पंजीकृत विक्री विलेख/लीज विलेख (फोटोकॉपी नोटरीकृत होनी / क्रिक्त क्रिक	0 0 00
d. e. f. a. b.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एक स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) र. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी (सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय रिक् भामले में)/खसरा और खतौनी (कृषि भूमि)/विक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसन प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याग-पत्र/वाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमवी-1 में छूट] वींक/कंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव से हस्ताक्षर सत्यापन (केवल एलएमवी-1 के लिए छूट) वाणिज्य मंत्रालय/उद्योग आधार से प्रमाण पत्र (केवल एलएमवी-6) अंतिम भुगतान किए गए बिल की प्रति संलप्नक: आवश्यक दस्ताविजों की सूची (आवश्यक संपत्ती के पनी सचिव / निदेशक/कंपनी सचिव / निदेशक (कंपनी) / ट्रस्टियों (ट्रस्ट) / भागीदारों (साझेदारी फर्म) की सूची कंपनी सचिव / निदेशक/कंपनी सचिव द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाला प्रमाणित बोर्ड संकल्प, (साथ ही उसके हस्ताक्षर का सत्यापन) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड, यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोर्ड भी स्वयं प्रमाणित पहचान प्रमाण (मतदाता/पैन/डीएल/पासपोर्ट) वींक द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर का सत्यापन	L C Out	 9. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमति पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी समिति) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) आवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/न्यासी (ट्रस्ट)/साझेदारों (साझेदारी फर्म) की सूची h. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / जीएसटी प्रमाणपत्र के अभाव में घोषणा पत्र पर निशान लगाएं) (एच.टी सप्लाई) विधिवत सत्यापित निगमन प्रमाणपत्र (कंपनी) / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) / उपनियम (सहकारी समिति) / निगमन प्रमाणपत्र और एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी डीड (साझेदारी फर्म), जैसा भी मामला हो जीएनआईडीए/यूपीएसआईडीसी के साथ पंजीकृत विक्री विलेख/लीज विलेख (फोटोकॉपी नोटरीकृत होनी चाहिए) (पुनर्विक्रय के मामले में, विक्रेता के साथ टीएम और लीज विलेख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से एनओसी/सहमति पत्र/गैर-प्रदूषणकारी होने पर 	0 0 00
d. e. f. a. b.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एक स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी (सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय रिक मामले में)/खसरा और खतौनी (कृषि भूमि)/विक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसन प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याग-पत्र/वाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमवी-1 में छूट] वैंक/कंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव से हस्ताक्षर सत्यापन (केवल एलएमवी-1 के लिए छूट) वाणिज्य मंत्रालय/उद्योग आधार से प्रमाण पत्र (केवल एलएमवी-6) अंतिम भुगतान किए गए विल की प्रति संलप्रक: आवश्यक दस्तावेजों की सूची (आवश्यक वेप्तावेज) से सूची कंपनी सचिव / निदेशक (कंपनी) / ट्रस्टियों (ट्रस्ट) / भागीदारों (साझेदारी फर्म) की सूची कंपनी सचिव / निदेशक (कंपनी) / ट्रस्टियों (ट्रस्ट) / भागीदारों (साझेदारी फर्म) की सूची कंपनी सचिव / निदेशक/कंपनी सचिव द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाला प्रमाणित वोर्ड संकल्प, (साथ ही उसके हस्ताक्षर का सत्यापन) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड, यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोर्ड भी स्वयं प्रमाणित पहचान प्रमाण (मतदाता/पैन/डीएल/पासपोर्ट)	L C Out	 9. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमित पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी सिमित) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) आवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/त्यासी (ट्रस्ट)/साझेदारों (साझेदारी फर्म) की सूची h. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / जीएसटी प्रमाणपत्र के अभाव में घोषणा पत्र पर निशान लगाएं) (एच.टी सप्लाई) विधिवत सत्यापित निगमन प्रमाणपत्र और एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी डीड (साझेदारी फर्म), जैसा भी मामला हो जीएनआईडीए/यूपीएसआईडीसी के साथ पंजीकृत बिक्री विलेख/जीज विलेख (फोटोकॉपी नोटरीकृत होनी चाहिए) (पुनविक्रय के मामले में, विक्रेता के साथ टीएम और लीज विलेख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से एनओसी/सहमित पत्र/गैर-प्रदूषणकारी होने पर डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का यह घोषणापत्र कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (वैकल्पिक) 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें गवाहों का विवरण शामिल हो [अनिवार्य के 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें गवाहों का विवरण शामिल हो [अनिवार्य के 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें गवाहों का विवरण शामिल हो [अनिवार्य के 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें गवाहों का विवरण शामिल हो [अनिवार्य के 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें गवाहों का विवरण शामिल हो [अनिवार्य के 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें गवाहों का विवरण शामिल हो [अनिवार्य कि 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें गवाहों का विवरण शामिल हो [अनिवार्य कि 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें गवाहों के विवरण सामिल हो [अनिवार्य कि 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें प्राहों के विवरण सामिल हो विवरण सामिल हो हो कि सप्लाई जिसम	
d. e. f. a. b.	आवेदक का पैन कार्ड और आधार कार्ड (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोई भी एक स्व-सत्यापित पहचान प्रमाण (वोटर आईडी / पैन / डीएल / पासपोर्ट)) रु. 10 /गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनओसी (सह-स्वामी के स्व-प्रमाणित पहचान प्रमाण के साथ (संयुक्त संपत्ति के मामले में)) "GNIDA द्वारा लीज डीड (पुनर्विक्रय टीएम और विक्रेता के साथ लीज डीड के मामले में) / UPSIDC (पुनर्विक्रय रिक् मामले में)/खसरा और खतौनी (कृषि भूमि)/विक्री डीड (फ्रीहोल्ड या कृषि संपत्ति के मामले में) / GNIDA/UPSID से म्यूटेशन पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसन प्रमाण पत्र (कृषि भूमि के लिए और एक से अधिक कानूनी वारिस होने त्याग-पत्र/वाकी उत्तराधिकारियों से एनओसी) [सभी कागजात दोनों तरफ और नोटरीकृत होना चाहिए, एलएमवी-1 में छूट] वैंक/कंपनी के निदेशक या कंपनी सचिव से हस्ताक्षर सत्यापन (केवल एलएमवी-1 के लिए छूट) वाणिज्य मंत्रालय/उद्योग आधार से प्रमाण पत्र (केवल एलएमवी-6) अंतिम भुगतान किए गए विल की प्रति संलग्नक: आवश्यक दस्ताविजों की सूची (आवश्व कंपनी सचिव / निदेशक (कंपनी) / ट्रस्टियों (ट्रस्ट) / भागीदारों (साझेदारी फर्म) की सूची कंपनी सचिव / निदेशक (कंपनी) / ट्रस्टियों (ट्रस्ट) / भागीदारों (साझेदारी फर्म) का प्रमाणित वोर्ड संकल्प, (साथ ही उसके हस्ताक्षर का सत्यापन) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड, यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कोर्ड भी स्वयं प्रमाणित पहचान प्रमाण (मतदाता/पैन/डीएल/पासपोर्ट) वैंक द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है)	L C Out	 9. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, [≥25 किलोबाट के लिए अनिवार्य, (एलएमबी-5,6 सभी भार के लिए अनिवार्य)] गवाहों के विवरण सहित h. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से एनओसी / सहमति पत्र / यदि गैर-प्रदूषणकारी है तो डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का उपक्रम यह दर्शाता है कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (केवल LMV - 6 में) i. CIC / ट्रस्ट डीड (ट्रस्ट) /बाय लॉ (सहकारी सिमित) / एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म) आवेदन की तिथि/ समय: कंपनी सचिव/निदेशक (कंपनी)/न्यासी (ट्रस्ट)/साझेदारों (साझेदारी फर्म) की सूची h. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / जीएसटी प्रमाणपत्र के अभाव में घोषणा पत्र चेपर निशान लगाएं) (एच.टी सप्लाई) विधिवत सत्यापित निगमन प्रमाणपत्र और एलएलपी समझौता (एलएलपी) / साझेदारी डीड (साझेदारी फर्म), जैसा भी मामला हो जीएनआईडीए/यूपीएसआईडीसी के साथ पंजीकृत बिक्री विलेख/लीज विलेख (फोटोकॉपी नोटरीकृत होनी चाहिए) (पुनविक्रय के मामले में, विक्रेता के साथ टीएम और लीज विलेख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से एनओसी/सहमति पत्र/गैर-प्रदूषणकारी होने पर डीआईसी से एनओसी (या आवेदक का यह घोषणापत्र कि उसका उद्योग गैर-प्रदूषणकारी है (वैकल्पिक) 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई जिसमें गवाहों का विवरण शामिल हो [अनिवार्य ≥25KW, (सभी भार के लिए LMV-5,6 अनिवार्य)] 	

In case of conflict between English and Hindi version of these terms & conditions, the English version shall prevail.